

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 129/2021(धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड, पता- कार्यालय-तृतीय तल, जै एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर,
जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री संजय कुमार शुक्ला,
2. श्रीमती रीतू शुक्ला,
(1)वार्ड नंबर 23, शीतला का बास, सीकर।
(2)फ्लैट नंबर-801, चतुर्थ तल, गुरुप्रज्ञा सुमेरू, प्लाट नंबर 7, ग्रीन त्रिवेणी रेंजीडेशियल स्कीम,
सीकर रोड, जयपुर।
3. श्री शिशाराम सैनी,
(1)एचएच 147, झालाना ग्राम, करौल मेडिकल के पीछे, मालवीय नगर, जयपुर राज।
(2) फ्लैट नंबर-801, चतुर्थ तल, गुरुप्रज्ञा सुमेरू, प्लाट नंबर 7, ग्रीन त्रिवेणी रेंजीडेशियल स्कीम,
सीकर रोड, जयपुर राज।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitization and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।



आदेश


दिनांक 16.11.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.10.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री संजय कुमार शुक्ला के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति फ्लैट नंबर 801, आठवां तल, गुरुप्रज्ञा सुमेरू, प्लाट नंबर 7, ग्रीन त्रिवेणी आवासीय स्कीम, सीकर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 2211 वर्गफीट को बन्धक रख कर 56,00,000 रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitization an reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 56,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नये ब्याज कुल राशि 50,71,605/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस का दिनांक 24.01.2020 प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।



5. अतः The securitization an reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री संजय कुमार शुक्ला के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति फ्लैट नंबर 801, आठवां तल, गुरुप्रज्ञा सुमेरू, प्लॉट नंबर 7, ग्रीन त्रिवेणी आवासीय स्कीम, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 2211 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर का भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/11/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलवटर) जयपुर